भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3457

दिनांक 01 अप्रैल, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सरकारी अस्पतालों में उपचार प्रोटोकॉल की निगरानी

3457 **डा. अजित माधवराव गोपछड़ेः**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वंचित व्यक्तियों को पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण देखरेख मिलना सुनिश्चित करने के लिए सरकारी अस्पतालों में उपचार प्रोटोकॉल की निगरानी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर क्या कदम उठाए हैं;
(ख) क्या सरकार सरकारी और निजी अस्पतालों में कथित चिकित्सा लापरवाही के बढ़ते मामलों से अवगत है;
(ग) यदि हां, तो इस मुद्दे को हल करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और
(घ) क्या सरकार नैसर्गिक न्याय के हित में कथित चिकित्सा लापरवाही के मामलों के निष्पक्ष और वैज्ञानिक समाधान के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण की स्थापना पर विचार नहीं कर रही है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): 'स्वास्थ्य' राज्य का विषय है, इसलिए अल्पसेवित व्यक्तियों को पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्राप्त हो सके, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकारी अस्पतालों में उपचार प्रोटोकॉल की निगरानी बढ़ाना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारी और निजी अस्पतालों में कथित चिकित्सकीय लापरवाही के मामलों का संज्ञान लेने और इस मुद्दे को हल करने के लिए उचित उपाय करने के लिए भी जिम्मेदार हैं। चिकित्सा लापरवाही से संबंधित शिकायतें, जब भी केंद्र सरकार को प्राप्त होती हैं, उन्हें आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को भेज दिया जाता है। ऐसे मामलों का विवरण केंद्र सरकार द्वारा नहीं रखा जाता है।

भारत सरकार ने नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (सीई अधिनियम) को अधिनियमित किया है और मान्यता प्राप्त चिकित्सा प्रणालियों से संबंधित सरकारी (सशस्त्र बलों को छोड़कर) और निजी नैदानिक स्थापन के रजिस्ट्रीकरण और विनियमन के लिए नैदानिक स्थापन (केंद्र सरकार) नियम, 2012 (सीई नियम) को अधिसूचित किया। सीई अधिनियम के अनुसार, नैदानिक प्रतिष्ठानों द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रत्येक प्रकार की सेवा के लिए न्यूनतम मानकों की शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। सीई नियम द्वारा सभी नैदानिक प्रतिष्ठानों को केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी मानक उपचार दिशानिर्देशों (एसटीजी) का अनुपालन करने के लिए भी अधिदेशित किया गया है। जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सीई अधिनियम को अपनाया है, वे मरीजों को किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए सीई अधिनियम और सीई नियमों के प्रावधानों के अनुसार निजी अस्पतालों सहित अपने अस्पतालों को विनियमित करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। यदि इस अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो सीई अधिनियम में अस्पतालों के पंजीकरण को रद्द करने का भी प्रावधान है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रो में नैदानिक प्रतिष्ठान, जिन्होंने सीई अधिनियम को अपनाया और लागू नहीं किया है, वे राज्य अधिनियमों द्वारा पंजीकृत और विनियमित हैं।

वर्तमान में, कथित चिकित्सा लापरवाही के मामलों से निपटने के लिए विशेष अधिकरण की स्थापना के लिए केंद्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। हालाँकि, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (पेशेवर आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता) विनियम, 2002 में यह प्रावधान है कि किसी चिकित्सा व्यवसायी के पेशेवर कदाचार के संबंध में कोई भी शिकायत अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उपयुक्त चिकित्सा परिषद के समक्ष लाई जा सकती है। यदि कोई चिकित्सा व्यवसायी ऐसे कदाचार का दोषी पाया जाता है, तो संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की चिकित्सा परिषद ऐसी सज़ा दे सकती है जिसे वह आवश्यक समझे या दोषी चिकित्सा व्यवसायी का नाम रजिस्टर से पूरी तरह या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए हटाने का निर्देश दे सकती है। इसके अलावा, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 के तहत गठित नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड (ईएमआरबी) राज्य चिकित्सा परिषदों द्वारा की गई कार्रवाइयों के खिलाफ चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा दायर अपीलों पर अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है।

***